आदेश पत्रक तारीख...तक

जिला.............मधुबनी.........................संख्या–................ 29.........................सन् 2018–19

केश का प्रकार ....बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम 2011 की धारा–9 के अंतर्गत जमाबंदी रद्दीकरण

अर्जीकार–सरकार (अंचल अधिकारी, जयनगर)   प्रतिपक्षी:–   चन्द्रशेखर प्रसाद (जमाबंदीदार)

आदेष का कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 1– अर्जीकार:– अंचल अधिकारी, जयनगर। 2– प्रतिपक्षी:– चन्द्रशेखर प्रसाद पिता–शिवजी यादव, ग्राम–उछाल टोला, जयनगर बस्ती, पोस्ट–जयनगर, थाना–जयनगर, जिला–मधुबनी	आदेश पर की गई कार्रवाई
01.09.18	प्रस्तुत वाद अंचल अधिकारी, जयनगर से प्राप्त अभिलेख संख्या–17/2018–19 में उल्लेखित प्रतिवेदन के आधार पर प्रारम्भ करते हुये प्रतिपक्षी को पक्ष रखने हेतु सूचना दी गई। अंचल अधिकारी, जयनगर के अभिलेख में उल्लेख किया गया कि मौजा–जयनगर थाना नं. 80 सी0एस0 खाता संख्या–489 खेसरा–5186 आर0एस0खाता संख्या–580 खेसरा संख्या–447, **सी0एस0खतियान के अनुसार खाता नं. 489 खेसरा–5186 का किस्म–गैर मजरूआ आम है** जिसकी **जमाबंदी संख्या–3445** चन्द्रशेखर प्रसाद पिता–शिवजी यादव के नाम से चलती है। लिखा गया है कि सी0एस0खतियान के अनुसार **खाता–489 खेसरा–5186 किस्म–गैर मजरूआ आम है** आर0एस0खतियान का अंतिम प्रकाशन नहीं हुआ है। आयुक्त के सचिव, दरभंगा प्रमण्डल, दरभंगा के पत्रांक–761/रा0 दिनांक–23.11.2017 के आलोक में इस भूमि के खतियान का अंतिम प्रकाशन नहीं हुआ है फलतः प्रश्नगत भूमि को रैयती मानना नियमानुसार नहीं है। बिहार सरकार की भूमि का जमाबंदी किसी रैयत के नाम चलने का कोई औचित्य नहीं है। ऐसी स्थिति में खेसरा–447 की जमाबंदी संख्या–3445 को संदिग्ध पाते हुये रद्द करने की अनुशंसा की गई है। अंचल अधिकारी, जयनगर से प्राप्त प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम 2011 की धारा–9 के अंतर्गत वाद की कार्रवाई करते हुये प्रतिपक्षी को अपना पक्ष रखने हेतु सूचना दी गई तामिला हेतु अंचल अधिकारी को भेजा गया। सूचना का तामिला पत्रांक–798/सा0दिनांक–13.06.2018 से प्राप्त। सुनवाई हेतु निर्धारित तिथियों पर प्रतिपक्षी की अनुपस्थिति के कारण अंचल अधिकारी, जयनगर को निदेशित किया गया कि जमाबंदीदार के स्थायी पता पर निबंधित डाक से पक्ष रखने हेतु पुनः सूचना भेजी जाय। अंचल अधिकारी ने **RF 558665382IN** दिनांक– 25.07.2018 द्वारा चन्द्रशेखर प्रसाद पिता–शिवजी यादव, ग्राम–उछाल टोला, जयनगर बस्ती, जयनगर, थाना–जयनगर, जिला–मधुबनी पर भेजा। एक माह बीतने के बाद भी प्रतिपक्षी इस न्यायालय में वकालतन/सहालतन उपस्थित नहीं हुये। सहायक विद्वान सरकारी अधिवक्ता से राय ली गई। उनका लिखित राय है कि सूचना तामिला होने के बावजूद पुनः अवसर दिया गया एवं निबंधित डाक से भी 25.07.18 को ही सूचना भेजी गई। बावजूद इसके प्रतिपक्षी अनुपस्थित रहे जो स्पष्ट करता है कि प्रतिपक्षी को इस वाद में पक्ष रखने में अभिरूचि नहीं है। सरकारी जमीन का यदि अंचल अमला द्वारा रैयत के नाम जमाबंदी कायम किया गया हो **तो वह रद्द होने योग्य है।** सूचना तामिला के बावजूद प्रतिपक्षी की अनुपस्थिति के कारण एक पक्षीय सुनवाई करते हुये वाद आदेशार्थ रखा गया। अंचल अधिकारी राजस्व अभिलेखों के संरक्षक हैं। अंचल अधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन, अनुशंसा एवं विद्वान सहायक सरकारी अधिवक्ता की लिखित राय एव अनुशंसा में स्पष्ट है कि बिहार सरकार की भूमि का जमाबंदी किसी रैयत के नाम चलने का कोई औचित्य नहीं है। ऐसी स्थिति में **बिहार सरकार गैर मजरूआ आम की भूमि मौजा–जयनगर के खेसरा–447 के अवैध रूप से कायम जमाबंदी संख्या–3445 को रद्द किया जाता है।** आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, जयनगर को आवश्यक कार्यार्थ भेजें। अंचल अधिकारी अपने स्तर से जमाबंदीदार को भी आदेश से अवगत करा दें। आदेश से विक्षुब्ध पक्ष सक्षम न्यायालय का शरण ले सकते है। लेखापित अपर समाहर्ता, मधुबनी। 01.9.18 01.9.18 अपर समाहर्ता, मधुबनी।	